संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़

सोनाखान भवन, रिंग रोड़ नं. 1, ग्राम पुरेना, पोस्ट रविग्राम, रायपुर, छत्तीसगढ़ – 492006
फोन: 0771 – 2412840, 44, 45, फैक्स: 0771 – 2412841, Email: dgm.cg@nic.in

EXPRESSION OF INTEREST

इंडियन ब्यूरो ऑफ माईन्स द्वारा जारी परिपत्र 2/2010, दिनांक 06.04.2010 अनुसार मायनिंग प्लान/स्कीम अनुमोदन हेतु प्रस्तुत प्लान के साथ प्रत्येक बाउण्ड्री पिलर्स (सीमा स्तम्भ) का राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एजेन्सी के माध्यम से 2 घंटे डिफरेन्शियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) सर्वे अनुसार प्राप्त को–ऑर्डिनेट्स अंकित किया जाना अनिवार्य किया गया हैं। उक्त परिपत्र के तहत् छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग को प्रदेश में डीजीपीएस सर्वे हेतु सक्षम एजेंसियों को मान्यता दिया जाना हैं।

तत्संबंध में इच्छुक एजेंसियॉ, जिनके पास डीजीपीएस सर्वे, केडेस्ट्रल नक्शों का डिजीटायजेशन एवं जियोरिफरेंसिंग कार्य में तकनीकी रूप से दक्ष अमला एवं न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव हैं, वे राज्य शासन के मान्यता प्राप्त एजेंसियों के रूप में कार्य करने के लिए अपना आवेदन दिनांक 31.07.2014 तक संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, सोनाखान भवन, पोस्ट रविग्राम, रायपुर छत्तीसगढ़ (492006) को प्रस्तुत कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार कार्य क्षमता एवं अनुभव के संबंध में आवेदक एजेन्सी को न्यूनतम तीन संस्थाओं/कम्पनी द्वारा जारी कार्यादेश/रेट कॉन्ट्रेक्ट हुआ हैं तो प्रमाणिक विवरण/अन्य राज्यों में अधिकृत हुआ हैं, तो उसका विवरण एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

आवेदक कम्पनी/संस्था को बुलाये जाने पर संचालक द्वारा गठित समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण करना होगा। प्रस्तुतीकरण पश्चात् समिति की अनुशंसा पर मान्यता दी जावेगी।

डीजीपीएस सर्वे हेतु व्यय संबंधित पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारी/खनि पट्टेधारी को वहन करना होगा। अतः राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एजेन्सी, अपेक्षित कार्य हेतु दर, संबंधित अनुज्ञप्ति/पट्टेधारी से स्वतः नेगोशियेट कर निर्धारित करेंगे।

07/07/14
संचालक
भौमिकी तथा खनिकर्म
छत्तीसगढ़